सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

पत्रांकः प०नि०6648 / 25 दिनांक 20.04.2025

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० के अन्तर्गत चार वर्षीय / आठ सेमेस्टर वाले शास्त्री नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन-अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय की वेइसाइट पर पूर्व में ही पाठ्यक्रम प्रदर्शित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-३ की शासनादेश सं० १०६५/७०-०३-२०२१-१६ (२६)/२०११ दिनांक २०/०४/२०२१ एवं शासनादेश सं०-१५६७/सत्तर-३-२०२१-१६(२६)/२०११ टी.सी. लखनऊः दिनांकः १३ जुलाई, २०२१ के आलोक में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्री (स्नातक), शोध सहित शास्त्री एवं आचार्य (स्नातकोत्तर) के पाठ्यक्रमों के विषयों एवं प्रश्नपत्रों की रूपरेखा एवं नियम निर्धारण हेतु पत्रांक कु.स.८४६१/२४ दिनांक २४.१२.२०२४ को माननीय **कुलपति महोदय** द्वारा गठित **पाठ्यक्रम-नियम निर्धारण समिति** की संस्तुति की समीक्षा हेतु गठित **समीक्षा समिति** एवं **पाठ्यक्रम- नियम निर्धारण समिती** की सम्यक् बैठक दिनांक २८.०३.२०२५ की **संस्तुति/ रूपरेखा एवं अन्य सम्बन्धी निर्देश, कार्यपरिषद् द्वारा दिनांक ०३.०४.२०२५ को अनुमोदित है, जो** अधोलिखित रूप से अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

पत्रनाम / पत्र क्रमांक	संकायवार मुख्य विषयों का नाम	विषय चयन हेतु नियम / निर्देश
1	2	3
Major Course 01 मुख्य विषय (प्रथम पत्र) अर्जितांश 04 (क्रेडिट) 100 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसमें से 75 अंकोंकी लिखित परीक्षा व	1. **वेदवेदांग संकाय**– ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनशाखीय), कृष्ण–यजुर्वेद (तैत्तिरीयशाखीय), सामवेद, अथर्ववेद (शौनकशाखीय), वेदनैरूक्तप्रक्रिया, प्राचीनव्याकरण, नव्यव्याकरण, गणित, सिद्धान्तज्यौतिष, फलितज्यौतिष, धर्मशास्त्र, पौरोहित्य। 2. **साहित्यसंस्कृति संकाय**– साहित्य, पुराणेतिहास, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्र। 3. **दर्शन संकाय**– प्राचीनन्यायवैशेषिक, नव्यन्याय, पूर्वमीमांसा, शांकरवेदान्त, रामानुजवेदान्त, रामानन्दवेदान्त, मध्ववेदान्त, गौड़ीयवेदान्त, वल्लभवेदान्त, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्त, सांख्ययोग, योगतन्त्र, आगम, तुलनात्मकधर्म, दर्शन, तुलनात्मकदर्शन। 4. **श्रमण विद्या संकाय**– बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, पालि, प्राकृत एवं जैनागम, संस्कृतविद्या।	**महाविद्यालयों को एक विषय की मान्यता होने की दशा में**– मान्यता प्राप्त मुख्य विषय को ही प्रथम पत्र के रूप में चयनित करना होगा। **महाविद्यालयों को दो विषयों की मान्यता होने की दशा में**– मान्यता प्राप्त दोनों मुख्य विषयों में से किसी एक मुख्य विषय को **प्रथम पत्र** के रूप में चयनित करना होगा। **महाविद्यालयों को तीन अथवा तीन से अधिक विषयों की मान्यता होने की दशा में**– मान्यता प्राप्त तीनों मुख्य विषयों में से किसी एक मुख्य विषय को **प्रथम**

25 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन होगा।	5. **आधुनिकज्ञान विज्ञान संकाय–** भाषाविज्ञान। **नोट–** **संस्कृतविद्या, भाषाविज्ञान, मात्र विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के चयन हेतु आरक्षित है।**	पत्र के रूप में चयनित करना होगा। **विश्वविद्यालय परिसर के छात्रों का प्रवेशित विभाग का विषय ही मुख्य विषय का प्रथम पत्र होगा।**
Major Course 02 मुख्य विषय (द्वितीय पत्र) अर्जितांश **04** (क्रेडिट) **100 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसमें से 75 अंकों की लिखित परीक्षा व 25 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन होगा।**	1. **वेदवेदांग संकाय–** ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनशाखीय), कृष्ण–यजुर्वेद (तैत्तिरीयशाखीय), सामवेद, अथर्ववेद (शौनकशाखीय), वेदनैरूक्तप्रक्रिया, प्राचीनव्याकरण, नव्यव्याकरण, गणित, सिद्धान्तज्यौतिष, फलितज्यौतिष, धर्मशास्त्र, पौरोहित्य। 2. **साहित्यसंस्कृति संकाय–** साहित्य, पुराणेतिहास, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्र। 3. **दर्शन संकाय–** प्राचीनन्यायवैशेषिक, नव्यन्याय, पूर्वमीमांसा, शांकरवेदान्त, रामानुजवेदान्त, रामानन्दवेदान्त, मध्ववेदान्त, गौड़ीयवेदान्त, वल्लभवेदान्त, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्त, सांख्ययोग, योगतन्त्र, आगम, तुलनात्मकधर्म, दर्शन, तुलनात्मकदर्शन। 4. **श्रमण विद्या संकाय–** बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, पालि, प्राकृत एवं जैनागम, संस्कृतविद्या। 5. **आधुनिकज्ञान विज्ञान संकाय–** भाषाविज्ञान। **नोट–** **संस्कृतविद्या, भाषाविज्ञान, मात्र विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के चयन हेतु आरक्षित है।**	प्रथम पत्र के लिये चयनित मुख्य विषय ही द्वितीय पत्र का मुख्य विषय होगा। **विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों का प्रथम पत्र का विषय ही द्वितीय पत्र का विषय होगा तथा वह विषय जिस संकाय के अन्तर्गत हैं वही छात्र का संकाय होगा।**
Minor Course 01 अन्तर्विषयक शास्त्रीय विषय (तृतीय पत्र) अर्जितांश 03 (क्रेडिट) **50 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।**	1. **वेदवेदांग संकाय–** ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनशाखीय), कृष्ण–यजुर्वेद (तैत्तिरीयशाखीय), सामवेद, अथर्ववेद (शौनकशाखीय), वेदनैरूक्तप्रक्रिया, प्राचीनव्याकरण, नव्यव्याकरण, गणित, सिद्धान्तज्यौतिष, फलितज्यौतिष, धर्मशास्त्र, पौरोहित्य। 2. **साहित्यसंस्कृति संकाय–** साहित्य, पुराणेतिहास, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्र। 3. **दर्शन संकाय–** प्राचीनन्यायवैशेषिक, नव्यन्याय, पूर्वमीमांसा, शांकरवेदान्त, रामानुजवेदान्त, रामानन्दवेदान्त, मध्ववेदान्त, गौड़ीयवेदान्त, वल्लभवेदान्त, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्त, सांख्ययोग, योगतन्त्र, आगम, तुलनात्मकधर्म, दर्शन, तुलनात्मकदर्शन।	**महाविद्यालयों को एक विषय की मान्यता होने की दशा में–** चयनित मुख्य विषय से सम्बद्ध विश्वविद्यालय के तद् विषय सम्बद्ध संकाय का अन्तर्विषयक शास्त्रीय विषय ही ग्राह्य होगा। परन्तु उस विषय के पठन–पाठन की व्यवस्था विद्यालय अपने स्तर से करेगें। **महाविद्यालयों को दो विषयों की मान्यता होने की दशा में–** चयनित मुख्य विषय से अतिरिक्त अवशिष्ट विषय/विषयों में से किसी एक विषय को (अन्तर्विषयक शास्त्रीय विषय को) तृतीय पत्र के रूप में चयन करना होगा, जो प्रथम व द्वितीय पत्र में चयनित विषय के

	4. **श्रमण विद्या संकाय**– बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, पालि, प्राकृत एवं जैनागम, संस्कृतविद्या। 5. **आधुनिकज्ञान विज्ञान संकाय**– भाषाविज्ञान। **नोट–** **संस्कृतविद्या, भाषाविज्ञान, मात्र विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के चयन हेतु आरक्षित है।**	संकाय के अन्तर्गत अन्य विभाग का हो। विभागान्तर न होने की दशा में विद्यालय अपने स्तर पर उस विषय के पठन–पाठन की व्यवस्था करेगें। तृतीय पत्र के रूप में स्तम्भ–2 में उपलब्ध विषयों में से चयन करना होगा।(विभाग/संकाय का तात्पर्य विश्वविद्यालय में स्वीकृत विभाग/संकाय से होगा।) यदि मान्यता प्राप्त दूसरा विषय प्रथम, द्वितीय पत्र के विषय सम्बद्ध संकाय से इतर हो तो उसे चतुर्थ, पंचम पत्र या अन्य के रूप में ही चयन करना होगा। **महाविद्यालयों को तीन अथवा तीन से अधिक विषयों की मान्यता होने की दशा में–** मान्यता प्राप्त तीन विषयों में से प्रथम, द्वितीय पत्र के लिये चयनित मुख्य विषय के बाद, मान्यता के शेष बचे दो विषयों में से किसी एक ऐसे मुख्यविषय का चयन **शास्त्रीय तृतीय पत्र** के रूप में करेंगे जो प्रथम, द्वितीय पत्र के चयनित विषय के संकाय के अन्तर्गत अन्य विभाग का मुख्य विषय हो। ऐसा न होने की स्थिति में **स्तम्भ–2** के मुख्य विषयों में से प्रथम, द्वितीय पत्र के चयनित मुख्य विषय के संकाय के विभाग के अतिरिक्त शेष बचे विभाग में से ही एक **शास्त्रीय** विषय का चयन तृतीय पत्र के रूप में करना होगा। **विश्वविद्यालय परिसर के छात्र अपने–अपने प्रवेशित विभाग के अतिरिक्त अपने सकांय के किसी अन्य विभाग में से स्तम्भ–2 से एक विषय का चयन तृतीय पत्र के रूप में करेंगे। मुख्य विषय भाषा विज्ञान के छात्र, तृतीय पत्र के रूप में अन्य चार संकायों से किसी भी विभाग के विषय का चयन कर सकते हैं। परन्तु वह चतुर्थ पत्र का विषय नहीं होगा।**
Multi Disciplinary Course	1. वेदवेदांग संकाय– ऋग्वेद, शुक्लयजुर्वेद (माध्यन्दिनशाखीय), कृष्ण–यजुर्वेद (तैत्तिरीयशाखीय), सामवेद, अथर्ववेद (शौनकशाखीय),	**महाविद्यालयों को एक विषय की मान्यता होने की दशा में–** प्रथम, द्वितीय व तृतीय पत्र के चयनित विषय के अतिरिक्त किसी

विश्वविद्यालय में स्वीकृत कोई भी विषय (चतुर्थ पत्र) अर्जितांश **02** (क्रेडिट) विज्ञान एवं गृहविज्ञान को छोड़कर शेष सभी विषयों का का पूर्णांक 50 अंकों होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।	वेदनैरूक्तप्रक्रिया, प्राचीनव्याकरण, नव्यव्याकरण, गणित, सिद्धान्तज्यौतिष, फलितज्यौतिष, धर्मशास्त्र, पौरोहित्य। 2. **साहित्यसंस्कृति संकाय–** साहित्य, पुराणेतिहास, प्राचीनराजशास्त्रार्थशास्त्र। 3. **दर्शन संकाय–** प्राचीनन्यायवैशेषिक, नव्यन्याय, पूर्वमीमांसा, शांकरवेदान्त, रामानुजवेदान्त, रामानन्दवेदान्त, मध्ववेदान्त, गौड़ीयवेदान्त, वल्लभवेदान्त, शक्तिविशिष्टाद्वैतवेदान्त, सांख्ययोग, योगतन्त्र, आगम, तुलनात्मकधर्म, दर्शन, तुलनात्मकदर्शन। 4. **श्रमण विद्या संकाय–** बौद्धदर्शन, जैनदर्शन, पालि, प्राकृत एवं जैनागम, संस्कृतविद्या। 5. आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय– **आधुनिक भाषा एवं भाषा विज्ञान विभाग–** **भाषाविज्ञान,** हिन्दीसाहित्य, नेपालीसाहित्य **सामाजिक विज्ञान विभाग–** (राजशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्, इतिहास/ प्राचीनभारतीयेतिहासःसंस्कृतिश्च, भूगोलः,प्राचीनभारतीयराजनीति,समाजशास्त्रम) **विज्ञान विभाग–** (रसायनविज्ञानम्, जीवविज्ञानम्, भौतिकविज्ञानम्), गृहविज्ञानम्(केवलं बालिकानां कृते)। नोट– **1–विज्ञान एवं गृहविज्ञान की परीक्षा का पूर्णांक 100 अंकों का होगा, जिसमें से 50 अंकों की लिखित तथा 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी।** **2–संस्कृतविद्या, भाषाविज्ञान, मात्र विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के चयन हेतु आरक्षित है।**	भी संकाय के एक विषय को चयनित करना अनिवार्य होगा। **महाविद्यालयों को दो विषयों की मान्यता होने की दशा में–** मान्यता प्राप्ति का दूसरा मुख्य विषय यदि प्रथम, द्वितीय व तृतीय पत्र के लिये चयनित मुख्य विषय से भिन्न किसी भी संकाय का मुख्य विषय हो तो, उसका चयन चतुर्थ पत्र के लिये किया जायेगा, अन्यथा की दशा में **स्तम्भ–2** में उपलब्ध सभी संकायों में से प्रथम, द्वितीय व तृतीय पत्र को छोड़कर शेष बचे विषय/विषयों में से एक विषय का चयन चतुर्थ पत्र के रूप में करना होगा। **महाविद्यालयों को तीन अथवा तीन से अधिक विषयों की मान्यता होने की दशा में–** मान्यता प्राप्त तीनों विषयों के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पत्र के लिये जिस मुख्य विषय का चयन कर लिया गया है तथा शेष बचा मुख्य विषय किसी अन्य संकाय/विभाग का हो तो, उसका चयन चतुर्थ पत्र के रूप करना होगा। **विश्वविद्यालय परिसर के छात्र अपने–अपने प्रवेशित विभाग के अतिरिक्त मुख्य विषयों में से किसी एक मुख्य विषय का चयन चतुर्थ पत्र के रूप में करेंगे।**
Minor Course 02 आधुनिक ज्ञानविज्ञान के अन्तर्गत कोई एक विषय (पंचम पत्र) अर्जितांश **03** (क्रेडिट)	राजशास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास/ प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति, भूगोल, प्राचीन भारतीय राजनीति, विज्ञान (रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान), समाजशास्त्र, इतिहासपुराण, हिन्दीसाहित्य, नेपालीसाहित्य, गृहविज्ञान (**केवल बालिकाओं हेतु**)।	सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को **पंचम पत्र** के रूप में उपलब्ध **स्तम्भ–2** के विषयों में से किसी **एकविषय** का चयन करना होगा, जिसके आधार पर छात्रों से परीक्षा आवेदनपत्र पूरित कराना होगा,तथा प्रत्येक दो सेमेस्टर के बाद ही विषय परिवर्तित किया जा सकेगा।

विज्ञान एवं गृहविज्ञान को छोड़कर शेष सभी विषयों का पूर्णांक 50 अंकों का होगा।	नोट– विज्ञान एवं गृहविज्ञान की परीक्षा का पूर्णांक 100 अंकों का होगा, जिसमें से 50 अंकों की लिखित तथा 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी।	**विश्वविद्यालय परिसरीय छात्र स्तम्भ–2 में दिये गये विषयों में से किसी एक विषय का चयन पंचम पत्र के रूप में करेंगे।**
Ability Enhancement Course (AEC) **दक्षता सम्बर्धक पाठ्यक्रम)– (षष्ठ पत्र) अर्जितांश 02 (क्रेडिट)** 50 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।	व्यावहारिक संस्कृत, फेन्च, जर्मन, चीनी, रसियन, अंग्रेजी, तिब्बती, प्राचीनफारसी, व्यावहारिक–हिन्दी, कन्नड़, तमिल, तेलगु, मलयालम भाषा।	सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को **षष्ठ पत्र** के रूप में उपलब्ध **दक्षता सम्बर्धक पाठ्यक्रमों** में से किसी **एक विषय** का चयन करना होगा। जिसके, आधार पर छात्रों से परीक्षा आवेदनपत्र पूरित कराना होगा। **विश्वविद्यालय परिसरीय छात्र स्तम्भ–2 में दिये गये विषयों में से किसी एक विषय का चयन षष्ठ पत्र के रूप में करेंगे।**
Skill Enhancement Course(SEC) (कौशल विकास पाठ्यक्रम)– सप्तम पत्र **अर्जितांश 03 (क्रेडिट)** 50 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा होगी।	योग, संगणक अनुप्रयोग, संगीत (गायन, तबला–वादन, सितारवादन), कर्मकाण्ड, ज्योतिष, वास्तु।	सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को **सप्तम पत्र** के रूप में **कौशल विकास पाठ्यक्रमों** में से किसी **एकविषय** का चयन करना होगा, जिसके आधार पर छात्रों से परीक्षा आवेदनपत्र पूरित कराना होगा। **विश्वविद्यालय परिसरीय छात्र स्तम्भ 02 में दिये गये विषयों में से किसी एक विषय का चयन सप्तम पत्र के रूप में करेंगे।**
Value Added Course (मूल्य संवर्धक पाठ्यक्रम)– अष्टम पत्र अर्जितांश	**प्रथमाधिसत्र** के लिये खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता। **द्वितीयाधिसत्र** के लिये प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य। **तृतीयाधिसत्र** के लिये शारीरिक शिक्षा एवं योग।	विश्वविद्यालय परिसर एवं सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को **अष्टम पत्र** के लिये स्तम्भ–2 में

01 (क्रेडिट) .50 अंकों का पूर्णांक होगा, जिसकी मात्र लिखित परीक्षा **होगी।**	**चतुर्थाधिसत्र** के लिये मानव मूल्य, भारतीय संविधान एवं पर्यावरण अध्ययन। **पंचमाधिसत्र** के लिये विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल जागरूकता। **षष्ठाधिसत्र** के लिये संचार कौशल एवं व्यक्तिगत विकास।	लिखित विषयों में से **प्रत्येक सेमेस्टर** के लिये अलग–अलग निर्धारित **मूल्य सम्वर्धक पाठ्यक्रम** हेतु निधारित विषय का चयन **अनिवार्य पत्र** के रूप में करना **बाध्यकारी** होगा।
कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक– **24.11.2023 में अनुमोदित विशेष अर्हता परीक्षा नवमं पत्र का पूर्णांक 50 अंको का तथा उत्तीर्णांक 18 अंकों का होगा।**	<u>अर्हता परीक्षा का पाठ्यक्रम–</u> <u>**प्रथम सेमेस्टर के लिये–**</u> **सन्धि प्रकरण**–अच्सन्धि,हल्सन्धि तथा विसर्गसन्धि का परिज्ञान। **कारक प्रकरण**–विभिन्न विभक्तियों के अर्थो का अध्ययन। **षड्लिंग प्रकरण**–अजन्त पुल्लिंग, अजन्त स्त्रीलिंग, अजन्त नपुंसक लिंग, हलन्त पुल्लिंग, हलन्त स्त्रीलिंग, हलन्त नपुंसक लिंग। **अनुवाद**–उपर्युक्त प्रकरणों से सम्बन्धित अनुवाद। <u>**द्वितीय सेमेस्टर के लिये–**</u> समासप्रकरण–अव्ययी भाव, तत्पुरूष, बहुब्रिहि, द्वन्द्व तथा भ्वादि प्रकरण तथा कृदन्तप्रकरण। **अनुवाद**–प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के व्याकरणांशों पर आधारित अनुवाद।	<u>**प्रवेश अर्हता का नियम/निर्देश–**</u> **ऐसे छात्र जो इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा बिना संस्कृत विषय के उत्तीर्ण हैं, उनके चार वर्षीय आठ सेमेस्टर वाले शास्त्री के नवीन पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर नवम् पत्र के रूप में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ स्तम्भ–2 में लिखित पाठ्यक्रम की अतिरिक्त <u>अर्हता परीक्षा</u> उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस उत्तीर्णता के सापेक्ष कोई क्रेडिट देय नहीं होगा।**

<u>अन्य सूचना एवं निर्देश –</u>

भाग -१

1. शास्त्री पाठ्यक्रम में कुल ०६/०८ सेमेस्टर (अधिसत्र) होंगे।

2. दो सेमेस्टर (अधिसत्र) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर **सर्टिफिकेट / प्रमाणपत्र**, चार सेमेस्टर (अधिसत्र) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर **डिप्लोमा**, छह सेमेस्टर (अधिसत्र) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर **शास्त्री / स्नातक** एवं आठ सेमेस्टर (अधिसत्र) की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर **चतुर्वर्षीय शास्त्री / स्नातक (शोध सहित)** की उपाधि प्रदान की जाएगी।

3. १० सेमेस्टर (अधिसत्र) की उत्तीर्णता पर आचार्य / स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाएगी।

4. पाठ्यक्रम में **मेजर** पद उस मुख्य विषय को इंगित करेगा जिस विषय में छात्र को शास्त्री / स्नातक अथवा आचार्य / स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाएगी। मुख्य विषय का संकाय अभ्यर्थी का अपना संकाय कहलाएगा।

5. **माइनर कोर्स १** से तात्पर्य अन्तर्विषय से होगा, इसके अन्तर्गत छात्र अपने मुख्य विषय से अतिरिक्त अपने ही संकाय के अन्तर्गत किसी अन्य विषय का चयन करेगा।

6. **मल्टीडिसिपिलनरी कोर्स** से तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में स्वीकृत कोई भी विषय से होगा। परन्तु मेजर, माइनर, मल्टीडिसिपिलनरी में विषयों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी।

7. **माइनर इलेक्टिव द्वितीय** से तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभूह में से किसी एक से होगा। इस समूह में मेजर, अन्तर्विषयक माइनर इलेक्टिव प्रथम व कौशल विकास पाठ्यक्रम के अन्तर्गत समाहित विषयों से भिन्न विषय ही समाहित होंगे।

8. Vocational / skill Development course / **कौशल विकास पाठ्यक्रम** का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समूह के विषयों से होगा।

9. Co-curricular course से तात्पर्य सहविषय पाठ्यक्रमों से होगा जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित अनिवार्य ०६ विषय समाहित हैं।

10. उत्तर मध्यमा / प्राक्शास्त्री / इण्टरमीडिएट अथवा तत्समकक्ष उपाधि परीक्षा में संस्कृत विषय न होने की स्थिति में छात्रों को प्रथम अधिसत्र में नवम पत्र के रूप में संस्कृत भाषा से सम्बन्धित निर्धारित पाठ्यक्रम की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इसकी गणना ग्रेडिंग अथवा श्रेणी निर्धारण में नहीं की जाएगी। पालि विषय के प्रवेशार्थियों के लिए इण्टरमीडिएट में पालि विषय होने पर संस्कृत भाषा की अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है।

भाग - २

(क) शास्त्री प्रथम सेमेस्टर से चतुर्थ सेमेस्टर (अधिसत्र) पर्यन्त ०८ पत्र होंगे, जिसमें चार या चार से अधिक क्रेडिट हो उन पत्रों का पूर्णांक १०० अंक होगा। जिसमें ७५ अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा तथा २५ अंकों की आन्तरिक मूल्यांकन होगा, जिसकी परीक्षा तीन घण्टे की होगी। प्रश्नपत्र के कुल तीन भाग होगे, जिसके अन्तर्गत -

1. प्रथम एवं द्वितीय प्रश्न पत्र मुख्य (मेजर विषय) होगा, जिसके तीन भाग होंगे-

प्रथम भाग में कुल ०६ व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये १२ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार **प्रथम भाग कुल ३६ अंकों का होगा।**

द्वितीय भाग में कुल ०६ लघूत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०५ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार **द्वितीय भाग कुल १५ अंकों का होगा।**

तृतीय भाग में कुल ०८ अतिलघूत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, आठों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०३ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार **तृतीय भाग कुल २४ अंकों का होगा।**

2. तृतीय प्रश्न अन्तर्विषयक शास्त्रीय विषय (माइनर १) का होगा।
3. चतुर्थ प्रश्न पत्र **मल्टीडिसिपिलनरी** का होगा।
4. पंचम प्रश्न पत्र **माइनर इलेक्टिव द्वितीय** का होगा।
5. षष्ठ प्रश्न पत्र **दक्षता सम्वर्धक पाठ्यक्रम** का होगा।
6. सप्तम प्रश्न पत्र कौशल विकास पाठ्यक्रम का होगा।
7. अष्टम प्रश्न पत्र मूल्य सम्वर्धक पाठ्यक्रम का होगा।
8. **तृतीय पत्र से अष्टम पत्र (माइनर विषय) तक की मात्र लिखित(सैद्धान्तिक) परीक्षा के २२ प्रश्नों के लिये ५० अंकों का पूर्णांक होगा (विज्ञान/गृहविज्ञान को छोड़कर), जिसकी परीक्षा ०३ घण्टे की होगी। प्रश्नप्रत्र के कुल तीन भाग होंगे-**

प्रथम भाग में कुल ०६ व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०६ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार **प्रथम भाग कुल १८ अंकों का होगा।**

द्वितीय भाग में कुल ०६ लघूत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०४ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार **द्वितीय भाग कुल १२ अंकों का होगा।**

तृतीय भाग में कुल १० अतिलघुत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०२ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार **तृतीय भाग कुल २० अंकों का होगा।**

चतुर्थ एवं पंचम पत्र विज्ञान एवं गृहविज्ञान का पूर्णांक १०० अंकों का होगा, जिसमें से **५० अंकों की लिखित परीक्षा तथा ५० अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी।** लिखित परीक्षा में प्रश्नपत्र के तीन भाग होंगे-

प्रथम भाग में कुल ०६ व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०६ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार **प्रथम भाग कुल १८ अंकों का होगा।**

द्वितीय भाग में कुल ०६ लघूत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, जिनमें से तीनों प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०४ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार **द्वितीय भाग कुल १२ अंकों का होगा।**

तृतीय भाग में कुल १० अतिलघुत्तरीयात्मक प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों का उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिये ०२ अंक निर्धारित होगा। इस प्रकार **तृतीय भाग कुल २० अंकों का होगा।**

(ख) पंचम एवं षष्ठ सेमेस्टर (अधिसत्र) में कुल ०५ प्रश्न पत्र **होंगे जिसके अन्तर्गत -**

1. पंचम अधिसत्र में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र मेजर (मुख्य) विषय के होंगे।

2. पंचम प्रश्न पत्र अनिवार्य सहविषय पाठ्यक्रम का होगा।

(ग) सप्तम, अष्टम सेमेस्टर (अधिसत्र) /शास्त्री चतुर्थ वर्ष (शोध सहित) में कुल ०६ पत्र होंगे जिसके अन्तर्गत

1. प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम प्रश्न पत्र मेजर (मुख्य) विषय के होंगे।
2. सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर (अधिसत्र) के पंचम प्रश्न पत्र में मुख्य विषय अथवा अन्तर्विषय से सम्बन्धित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. सप्तम सेमेस्टर (अधिसत्र) में षष्ठ प्रश्न पत्र में माइनर इलेक्टिव के अन्तर्गत शोध प्रविधि (Research Methodology)का पत्र अनिवार्य होगा।
4. सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर (अधिसत्र) के पंचम प्रश्न पत्र में मुख्य विषय से सम्बन्धित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. अष्टम सेमेस्टर (अधिसत्र) में षष्ठ प्रश्न पत्र में माइनर के अन्तर्गत पाण्डुलिपि विज्ञान एवं पुरातात्विक लेखन (Manuscriptology & Paliography) का पत्र अनिवार्य होगा।

(घ) नवम, दशम सेमेस्टर (अधिसत्र) / स्नातकोत्तर में कुल ०५ प्रश्न पत्र होंगे, जिसके अन्तर्गत -

1. सभी प्रश्न पत्र मेजर (मुख्य) विषय के होंगे।
2. पंचम प्रश्न पत्र में मुख्य विषय से सम्बन्धित मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

इस प्रकार शास्त्री के ०६ अधिसत्रों(तीन वर्ष) में कुल १३० क्रेडिट निर्धारित होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर शास्त्री (स्नातक) की उपाधि प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी को ०८ अधिसत्रों (चार वर्ष) में कुल (१३०+५०)= १८० क्रेडिट निर्धारित होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर शास्त्री (शोध सहित) (स्नातक शोध सहित) एवं १० अधिसत्रों (पांच वर्ष) में कुल(१८०+५०)= २३० क्रेडिट निर्धारित होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर आचार्य (स्नातकोत्तर) की उपाधि प्रदान की जाएगी, जबकि-

(१) विद्यार्थी तीन वर्ष के मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम ६० प्रतिशत जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे उपाधि प्रदान की जाएगी।

(२) एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा।

(३) तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेगा न कि डिप्लोमा में, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये विद्यार्थी को उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

भाग-३

1. प्रथम व द्वितीय पत्र का पूर्णांक 100 –100 अंकों का होगा, जिसमें 75 अंकों की सैद्धान्तिक/लिखित परीक्षा होगी। 25 अंकों की आन्तरिक परीक्षा जो परिसर में सम्बन्धित विभागों द्वारा एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों का, महाविद्यालय द्वारा ली जायेगी।

2. प्रथम व द्वितीय पत्रों के लिये चार–चार क्रेडिट अलग–अलग निर्धारित होगा।
3. प्रथम व द्वितीय पत्र के लिये सैद्धान्तिक परीक्षा के लिये 27 अंक एवं आन्तरिक परीक्षा के लिये 09 अंक उत्तीर्णांक होगा।
4. प्रथम व द्वितीय पत्र की अलग–अलग उत्तीर्णता के लिये लिखित व आन्तरिक मूल्यांकन के 36 अंक संयुक्त रूप से उत्तीर्णांक होगा, किन्तु आन्तरिक मूल्यांकन में छात्र अनुपस्थित न हो।
5. तृतीय से अष्टंम पत्र का पूर्णांक 50 अंकों का होगा (विज्ञान / गृहविज्ञान को छोड़कर), जिसमें 18 अंकों का उत्तीर्णंक होगा।
6. चतुर्थ एवं षष्ठ पत्र के लिये दो–दो क्रेडिट निर्धारित होगा।
7. प्रथम से अष्टम पत्र के सभी पत्र की उत्तीर्णता स्वतन्त्र पत्र के रूप में निर्धारित होगी
8. तृतीय, पंचम एवं सप्तम पत्र के लिये तीन–तीन क्रेडिट निश्चित होगा।
9. प्रथम सेमेस्टर के सप्तम पत्र में तीन क्रेडिट तथा अन्य सेमेस्टरों का सप्तम पत्र दो–दो क्रेडिट का होगा।
10. अष्टम पत्र के लिये मात्र 01 क्रेडिट निश्चित होगा।
11. किसी एक पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित होने की दशा में छात्र मात्र एक पत्र की बैक परीक्षा के लिये अर्ह होगा।
12. श्रेणी सुधार की परीक्षा के लिये प्रत्येक सेमेस्टर के लिये छात्र को मात्र एक पत्र अनुमन्य होगा।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छात्रों को तीन मुख्य विषय व कई आधुनिक भाषा के अध्ययन का विकल्प सुलभ है, जिसके कारण एक विषयक परीक्षा का आयोजन नही कराया जायेगा।
14. छात्र को एक सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिये मुख्य परीक्षा के साथ दो अन्य प्रयास बैक परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अनुमन्य होगा।
15. दो या दो से अधिक पत्र में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित होने की दशा में छात्र सम्बन्धित सेमेस्टर की आगामी परीक्षा में भूतपूर्व(Ex-student) छात्र के रूप में सम्मिलित होगा।
16. यदि कोई छात्र किसी कारणवश परीक्षाआवेदन पूरित नहीं कर पाता है तो, छात्र आगामी सेमेस्टर में प्रोन्नत नहीं होगा।
17. गृहविज्ञान / विज्ञान के अतिरिक्त सभी विषयों के लिये छात्र / छात्रा व्यक्तिगत परीक्षा के लिये अर्ह होंगे।
18. गृहविज्ञान / विज्ञान विषय में 50 अंकों की सैद्धान्तिक परीक्षा तथा 50 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी। समय–चक्र के अनुसार निर्धारित तिथि पर, परीक्षा केन्द्र द्वारा स्तरीय परीक्षकों से प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराया जायेगा।
19. सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों को परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात विश्वविद्यालय की पोर्टल पर ऑन लाइन पद्धति के अन्तर्गत आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक अंको की प्रविष्टि एतदर्थ निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत करना अनिवार्य होगा।
20. विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के आन्तरिक मूल्यांकन व प्रायोगिक अंक सम्बन्धित विभागों द्वारा संगणक केन्द्र को उपलब्ध कराया जायेगा। तद्नुसार संगणक केन्द्र कार्यदायी संस्था

से ऑन लाइन पद्धति के अन्तर्गत आन्तरिक मूल्यांकन एवं प्रायोगिक अंको की प्रविष्टि करायेगा।

21. संस्कृत विद्या एवं भाषा विज्ञान का विषय मात्र विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के लिये आरक्षित है, इसलिये महाविद्यालयीय छात्र इन विषयों का चयन कथमपि न करें।

22. माइनर कोर्स दो के पंचम पत्र हेतु चयनित विषय को प्रत्येक दो सेमेस्टर के बाद ही परिवर्तित किया जा सकेगा।

23. किसी भी पत्र के चयन में विषयों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी।

24. <u>आन्तरिक परीक्षा के मूल्यांकन का आधार–</u>

1. छात्र की सत्रीय उपस्थिति।
2. महाविद्यालय में छात्र का आचरण।
3. महाविद्यालय में छात्र का अनुशासन।
4. सत्र पर्यन्त महाविद्यालय में छात्र की शैक्षणिक गतिविधियाँ।

25. **विश्वविद्यालय परिसरीय छात्रों के लिये उपर्युक्त चारों बिन्दुओं का सुनिश्चितिकरण सम्बन्धित विषयों के विभागों द्वारा किया जायेगा।**

26. सभी आठ सेमेस्टर में अधोलिखित चार्ट के अनुसार प्रत्येक सेमेस्टर में क्रेडिट का निर्धारण होगा–

त्रिवर्षीय शास्त्री उपाधि पाठ्यक्रम एवं चतुर्वर्षीय शास्त्री ऑनर्स पाठ्यक्रम की रूपरेखा (NEP 2020). FYUGP

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सापेक्ष)

S.n.		1-Sm	2-Sm	3-Sm	4-Sm		5-Sm	6-Sm			7-Sm	8-Sm
1	Major Course - 01 (Total Credit - 28)	4cr	4cr	4cr	4cr	Major Course 01	6cr	6cr	01	Major 1	4 cr	6 cr
2	Major Course -02 (Total Credit - 28)	4cr	4cr	4cr	4cr	Major Course 02	6cr	6cr	02	Major 2	4 cr	4 cr
3	Minor Course-01 (अन्तर्विषयक शास्त्रीय विषय) (Total Credit - 12)	3cr	3cr	3cr	3cr	Major Course 03 (Total Credit - 8)	4cr	4cr	03	Major 3	4 cr	4 cr
4	Multi Disciplinary Course (किसी भी संकाय से विषय) (Total Credit - 9)	2cr	2cr	2cr	3 cr	Major Course 04 (Total Credit - 8)	4cr	4cr	04	Major 4	4 cr	4 cr
5.	Minor Course -02 (आधुनिक ज्ञानविज्ञान संकाय के अन्तर्गत कोई एक विषय) (Total Credit - 12)	3cr	3cr	3cr	3cr				05	Major 5	6 (Research Project) Dissertation	6 (Research Project) Dissertation
6	AEC (Ability Enhancement Course) (दक्षता संवर्द्धन पाठ्यक्रम) (Total Credit - 8)	2 cr	2 cr	2 cr	2 cr				06	Minor	2(R.M)	2(M&P)
7	SEC (Skill Enhancement Cours) (कौशल विकास पाठ्यक्रम) (Total Credit - 8)	3 cr	2 cr	2 cr	2 cr							
8	Value Added course (कौशल विकास पाठ्यक्रम) (Total Credit - 6)	1 cr	1 cr	1cr	1cr		1 cr	1 cr				
9	Internship (ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण) (Total Credit - 2)		1cr	1cr							Total No. of Credits. (4th Year)	
10						Grading					24	26
11	Extra Compulsary Sanskrit (for Non-Sanskrit students at +2 Level)	Non-credit course of Sanskrit Language (Only in first Semester)									50	
12		22	22	22	22		21	21			Total No. of Credits in Shastri with research	
13											130+50=180	

पाठ्यक्रम एवं विषयों के कूटांकों का निर्धारण विश्वविद्यालय स्तर पर किया जायेगा।

Cr = Credit

R.M. = Research Methodology

M&P = Manuscriptology & Paliography

Minor RP = Minor Research Project

27. यदि महाविद्यालयों को किसी ऐसे **मुख्य विषय** या अन्य **भाषा/पाठ्यक्रम** का चयन करना पड़ रहा है, जिसकी मान्यता उसे नहीं है तो, महाविद्यालय उस विषय के लिये आवश्यक संसाधन तथा अध्यापकों की व्यवस्था अपने स्तर से करके, अध्ययन–अध्यापन पूर्ण कराना अनिवार्य होगा।

28. उपर्युक्त के क्रम में महाविद्यालयों के सुझाव व सुविधा के दृष्टिगत अन्य निर्देश भी दिया जा सकेगा।

29. उपर्युक्त के क्रम में प्राचार्यगणों को दिये गये किसी निर्देश में यदि अस्पष्टता हो तो, एतदर्थ सुझाव परीक्षा नियंत्रक को लिखित रूप से सूचित करें।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार न्यूनतम् समान पाठ्यक्रम की नीति का अनुपालन करते हुए छात्रों को अपनी इच्छानुसार विषय चयन की अजादी(Choice Besed Credit System) CBCS पद्धति पर NEP 2020 के आलोक में उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-३ द्वारा प्रदत्त निर्देशों के सापेक्ष निर्दिष्ट नियमावली के अनुसार उपरोक्त पाठ्यक्रम की संरचना एवं निर्देश आदि का निर्धारण शासनादेश सं० १०६५/७०-०३-२०२१-१६ (२६)/२०११ दिनांक २०/०४/२०२१ एवं शासनादेश सं०-१५६७/सत्तर-३-२०२१-१६(२६)/२०११ टी.सी. लखनऊः दिनांकः १३ जुलाई, २०२१ के सातत्य में सम्बद्ध महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय परिसर में तत्काल प्रभाव से प्रभावी/लागू किया जाता है।

२०/०४/२५

(प्रो. सुधाकर मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक
२०/०४/२५

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव कुलपति को, कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. सभी सम्माननीय संकायाध्यक्ष।
3. प्रो॰ शैलेश कुमार मिश्र, अध्यक्ष, पाठ्यक्रम – नियम निर्धारण समिति।
4. प्रो॰ अमित कुमार शुक्ल, अध्यक्ष, समीक्षा समिति।
5. सिस्टम एनालिस्ट, संगणक केन्द को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उक्त कार्यालय–ज्ञाप को प्रदर्शित कराने की व्यवस्था हेतु।
6. आशुलिपिक कुलसचिव।
7. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) / शैक्षिक / अधीक्षक(परीक्षा) / अतिगोपनीय।
8. जनसम्पर्क कार्यालय।
9. प्राचार्य, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय।
10. सम्बद्ध पत्रावली।

२०/०४/२५

(प्रो. सुधाकर मिश्र)
परीक्षा नियंत्रक
२०/०४/२५